फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)

"राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.02.2023"

विजयसिंह बनाम राज. सरकार

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट न.मु.– 13/2023 GCMS No. – 2023/24

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.23		

यह प्रार्थना–पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी श्री विजय सिंह पुत्र जुझार सिंह जाति राजपूत निवासी जिनरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही जिनरासर की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 52 में बजरंगसिह पुत्र जुजारसिह जाति राजपूत निवासी जिनरासर खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुजानगढ़ दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार विजयसिंह पुत्र जुझारसिंह है। प्रार्थी का नाम विजयसिंह पुत्र जुझारसिंह किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रोही जिनरासर की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 52 में बजरंगसिह पुत्र जुजारसिह जाति राजपूत निवासी जिनरासर खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुजानगढ़ दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम विजयसिंह पुत्र जुझारसिंह है जो शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजात एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही जिनरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 52 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं–

क्रं. स.	**ग्राम**	**खाता संख्या**	**वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्व प्रविष्टि)**	**आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)**
01	जिनरासर	**52 (नया)**	**बजरंगसिह पुत्र जुजारसिह हिस्सा पूर्ण जाति–राजपूत निवासी जिनरासर खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुजानगढ़**	**विजयसिंह पुत्र जुझारसिंह हिस्सा पूर्ण जाति–राजपूत निवासी जिनरासर खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुजानगढ़**

राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को [illegible] कर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya

Date: 2023.02.13 12:07:32 IST

Reason: SelfAttested

न्यायिक अधिकारी

राष्ट्रीय लोक अदा[illegible]

सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़